बिहार सरकार
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक–.....

संख्या–8/आ0 (मु0राज0नि0)–3–01/2021–1608/श्री रामप्रवेश चौहान, तत्कालीन अवर निबंधक, हिलसा (नालन्दा) सम्प्रति सेवा से बर्खास्त को जमीन रजिस्ट्री करने के एवज में श्री योगेन्द्र यादव से रू. 8000/–(आठ हजार) रिश्वत लेते निगरानी विभाग के धावा दल द्वारा रंगे हाथ पकड़े जाने, गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजे जाने तथा निगरानी थाना कांड सं0–055/2014 दिनांक 26.08.2014 में प्राथमिकी अभियुक्त बनाये जाने के परिणाम स्वरूप कदाचार के लिए संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के आलोक में समीक्षोपरांत बिहार लोक सेवा आयोग का अभिमत प्राप्त करते हुए मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के उपरांत श्री चौहान के विरूद्ध विभागीय अधिसूचना सं0–2406 दिनांक–10.08.2020 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 यथा संशोधित 2007 के नियम–14 (xi) के तहत् सेवा से बर्खास्त करने का दण्ड अधिरोपित करते हुए विभागीय कार्यवाही समाप्त की गयी।

उक्त आदेश के विरूद्ध श्री चौहान द्वारा मा0 पटना उच्च न्यायालय में सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–16992/2021 (राम प्रवेश चौहान बनाम् बिहार राज्य एवं अन्य) दायर किया गया, जिसमें दिनांक–08.10.2024 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् हैः–

"35. As the report of the Inquiry Officer as well as the Disciplinary Authority and Appellate Authority in the instant case suffers from manifest illegality, in view of the fact that the findings are based on no evidence, or irrelevant consideration of evidence, the impugned orders dated 10-08-2020 and 17-01-2022 are set aside and quashed.

36. The writ petition, accordingly, stands allowed.

37. The petitioner is directed to be reinstated in service and he is entitled to all consequential benefits from the date of his initial suspension contemplating enquiry against him, which is the subject matter of this case.

उक्त न्यायादेश के विरूद्ध एल0पी0ए0 दायर किये जाने के बिन्दु पर विधि विभाग के माध्यम से महाधिवक्ता, बिहार, पटना का परामर्श प्राप्त किया गया, जिसका मुख्य अंश निम्नवत् हैः–

" I do not find any legal or factual infirmity in the order of the writ court. Hence, I do not find it is a fit case for filing LPA."

महाधिवक्ता से प्राप्त उक्त परामर्श के आलोक में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध कोई अपील/पुनर्विचार याचिका दायर करना संभव नहीं होने के कारण मा0 उच्च न्यायालय के सी0डब्लू0जे0सी0सं0–16992/2021 में दिनांक–08.10.2024 को पारित न्यायादेश के अनुपालन की बाध्यकारी स्थिति को देखते हुए मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अधिसूचना सं0–1093 दिनांक–20.11.2018 में निहित प्रावधान के आलोक में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष रखे जाने के बिन्दु पर सामान्य प्रशासन विभाग, वित्त विभाग एवं विधि विभाग की सहमति प्राप्त की गयी। विधि विभाग के माध्यम से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के विचारार्थ प्रस्ताव रखा गया। विधि विभाग के ज्ञापांक–1380 दिनांक–28.02.2025 द्वारा संसूचित दिनांक–20.02.2025 को आयोजित बैठक की कार्यवाही में समिति द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिया गयाः–

"समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरांत सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–16992/2021 (रामप्रवेश चौहान बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–08.10.2024 को पारित न्यायादेश के अनुपालनार्थ प्रशासी विभाग के अधिसूचना संख्या–2406, दिनांक–10.08.2020 के द्वारा श्री राम प्रवेश चौहान के विरूद्ध संसूचित दण्डादेश को निरस्त करते हुए, सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0–16992/2021 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–08.10.2024 को पारित आदेश का अनुपालन किये जाने की अनुशंसा की जाती है। यह याचिकाकर्त्ता के संदर्भ में हीं प्रभावी होगा एवं इसे पूर्वोदाहरण नहीं माना जायेगा।"

अतः सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0–16992/2021 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–08.10.2024 को पारित न्यायादेश एवं मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंसा के आलोक में श्री रामप्रवेश चौहान, तत्का0 अवर निबंधक, हिलसा, सम्प्रति सेवा से बर्खास्त के विरूद्ध विभागीय अधिसूचना सं0–2406 दिनांक–10.08.2020 द्वारा अधिरोपित दण्डादेश को निरस्त करते हुए सेवा में पुनः बहाल किया जाता है तथा निलंबन की तिथि से अनुमान्य सभी परिणामी लाभ प्रदान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

यह आदेश याचिकाकर्त्ता के संदर्भ में हीं प्रभावी होगा एवं पूर्वोदाहरण नहीं माना जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–8/आ0 (मु0राज0नि0)–3–01/2021–1608/ पटना, दिनांक–27.03.25

प्रतिलिपिः–

1. अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/वित्त विभाग, ई–गजट कोषांग को (सी0डी0 सहित) राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
2. महालेखाकार, बिहार, बीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव, बिहार/अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/प्रधान सचिव, वित्त विभाग/विभागीय सचिव/सचिव, विधि विभाग/निबंधन महानिरीक्षक के आप्त सचिव/अपर महाधिवक्ता सं0–05, महाधिवक्ता का कार्यालय, पटना उच्च न्यायालय, पटना को एम0जे0सी0सं0–3956/2024 के आलोक में/पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना/राजपत्रित स्थापना, प्रशाखा–5/विभागीय प्रोग्रामर एवं श्री रामप्रवेश चौहान, तत्का0 अवर निबंधक, हिलसा, नालन्दा, सम्प्रति सेवा से बर्खास्त, लेन नं–3बी/ई7, बैंक कॉलोनी, गोला रोड, दानापुर, पटना–801503 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

27/3/2025

सरकार के संयुक्त सचिव